संख्या :– ...../अ० सं० आ०/200 .....

प्रेषक,

सचिव,

राज्य अल्प संख्यक आयोग, उ०प्र०

609, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

.....

.....

..... लखनऊ दिनांक .....

विषय :– .....

.....

के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर .....

.....

से प्राप्त प्रार्थना–पत्र दिनांक ..... की फोटो प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रार्थनापत्र में उल्लिखित प्रकरण में आवश्यक जाँच कराकर शीघ्र समुचित कार्यवाही कराऐं तथा की गई कार्यवाही से जाँच आख्या सहित आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : उक्तवत

( )

सचिव

सं० :– ..... (1)/अ० सं० आ०/200 ..... तद्दिनांक

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि .....

.....

की सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

( )

सचिव

पत्र संख्या :– ...../अ० सं० आ०/200

प्रेषक,

.....

सचिव

अल्पसंख्यक आयोग, उ० प्र०

सेवा में,

.....

.....

.....

लखनऊ : दिनांक.....200

विषय : .....

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस आयोग के पत्र सं० ...../

अ०सं०आ०/..... लखनऊ दिनांक ..... की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वांछित आख्या आपसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है मामले में अत्यधिक विलम्ब हो चुका है। अतः अनुरोध है कि कृपया आयोग के उक्त पत्र दिनांक ..... में वांछित आख्या/सूचना आयोग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( )

सचिव

22870917
टेलीफोन नं०– 2286346
फैक्स नं०– 2287097

दृढ़ा   इन्दिरा

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, तल, भवन, लखनऊ।

(उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा–9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सम्मन)

सम्मन संख्या :–   दिनांक :: : 200

सेवा में,

....

....

....

विषय : ....

....

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्धी प्रकरण में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये शिकायती प्रार्थना–पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2–(क) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 (उ.प्र. अधिनियम सं. 22, 1994 की धारा–9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उपरोक्त विषयक प्रकरण में मा० आयोग ने सम्यक जाँच एवं अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। आयोग के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विषयक संलग्न शिकायती प्रार्थना–पत्र पर अपनी आख्या सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ आयोग को दि० ....तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।)

अथवा

2–(ख) उक्त प्रकरण के सम्बध में आप स्वयं जाँच आख्या सहित दिनांक .... को .... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह आयोग के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित हों।

3– उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम–1994 की धारा–15 के अन्तर्गत आयोग के किसी आदेश या निर्देश की अवहेलना करना भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम सं.–45 सन् 1860 की धारा–174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।)

4– प्रश्नगत सम्मन आज सन् 200..........................ई. के .... मास के ....दिवस को स्व–हस्ताक्षरित और आयोग की मुद्रा के साथ निर्गत किया गया।

संलग्न :: यथोपरि।

आज्ञा से,

सचिव।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, अधिनियम–1994
(इस अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के कुछ उद्धरण)

9– (1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात–

(क) उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ख) संविधान और राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियम विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपाय के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ड़) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विवाद्यकों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना।

(छ) किसी अल्पसंख्यक के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

(ज) सरकार को अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी विषय और विशेषकर उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना और

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों को, सिफारिशों पर की गई प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

(3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में वह सभी शक्तियाँ होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अर्थात :–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।

(ड़) साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

15– जो कोई धारा–9 उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निर्देश का पालन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश या निर्देश की अवज्ञा करें, यथास्थित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम सं०–45 सन् 1860) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।

कार्यालय – अल्प संख्यक आयोग ,उ0प्र0

क्रमाक	पदनाम	सृजितपद	वेतनमान
1	सचिव	1	12000-16500
2	निजीसचिव	1	6500-10500
3	अनुभाग अधिकारी	1	6500-10500
4	प्रवर वर्ग सहायक	2	5500-9000
5	वै0 सहायक	8	5500-9000
6	लेखाकार	1	5500-9000
7	अवर वर्ग सहायक	2	4500-7200
8	टंकक	1	3050-4590
9	उर्दू अनुवादक	1	3050-4590
10	चालक	1	3050-4590
11	जमादार	1	2610-3540
12	चपरासी	8	2550-3200
13	चौकीदार	1	2550-3200
14	स्वीपर	1	2550-3200